न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 36 ⁄ 2024 (उदयपुर डिक्री)

1. प्रभूलाल पिता राधेश्याम जी माली, निवासी टेकरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. जसवन्त पिता राधेश्याम जी माली, निवासी टेकरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती वन्दना पत्नी रमेश जी गन्ना, निवासी झीणीरेत का चौक, उदयपुर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰–1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक 29.04.2024 प्र.सं. 22 ⁄ 2014

–––⁄–––

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

–––::–––

निर्णय दिनांक 12–12–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा शहर, पटवार क्षेत्र शहर, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 1722 रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वादीगण का बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है। कथित भूमि की वादीगण की बिना सहमति के किसी भी कोपार्सनर को हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है, किन्तु बिना उनकी सहमति के धर्मचन्द के हक में हस्तान्तरण किया ग[illegible] एबीनिश्योवोईड होकर बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार के है। वादीगण का उक्त जमीन पर जन्म से हक अधिकार होकर वह इस भूमि के सहखातेदार हैं। कथित भूमि संवत् 2042 में कालूलाल पिता मावा जी माली के नाम दर्ज थी। दिनांक 29–01–1992 से आज दिनांक तक धर्मचन्द या प्रतिवादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। जो विक्रय पत्र दिनांक 10–05–2001 को निष्पादित किया गया है उसको भी 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। वादीगण कथित जमीन के कानूनी रूप से मालिक होकर खातेदार काश्तकार हैं। विकल्प में वादीगण का कब्जा अतिक्रमणकारी के रूप में भी माना जावे तो भी उसे 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है इस कारण वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 जबरन कब्जा करने की धमकी देते है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 4 तनकियां कायम की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय दिनांक 29–04–2024 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11–06–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि पैत्रृक भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने तनकी नंबर 1 के विवेचन में यह माना कि वादीगण ने अपने बयानों में यह कहा है कि वादीगण के दादा कालूलाल जी द्वारा बंटवारा वादीगण के पिता राधेश्याम व उनके भाई मेन्दूजी व मगनीराम के मध्य किया जा चुका है। कथित [illegible]लूलाल जी के पास उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested

पूर्वजों से आयी तथा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, वादग्रस्त भूमि के कोपार्सनर वादीगण है, इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं करना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है। जबकि रेकार्ड में आयी साक्ष्य अनुसार जायदाद मौरूसी होकर कालूलाल जी के पास कर्ताखानदान की हैसियत से आयी है तथा इस जमीन का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है तथा उक्त भूमि वादी की कोपार्सनरी सम्पत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 2, 3 व 4 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पैत्रृक बतायी है, जबकि मात्र 1722 बाबत ही वाद प्रस्तुत किया है, अन्य आराजियात को दावे में शामिल नहीं किया है। सन् 2004 में सिविल कोर्ट से निर्णय हुआ, जो वादीगण की जानकारी में था स्वयं वादीगण के पिता उसमें पक्षकार था, जिसकी कोई अपील अपीलान्टगण द्वारा नहीं की गयी। कालूलाल द्वारा अपने हिस्से का ही विक्रय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी प्रदर्श 7 ए अनुसार विवादित आराजी नंबर 1722 के अलावा अन्य आराजियात भी वादीगण के दादा कालूलाल के खातेदारी में अंकित है, जबकि वादीगण द्वारा मात्र आराजी नंबर 1722 बाबत् ही वाद पेश किया गया है। कालूलाल की मृत्यु पश्चात उक्त आराजियात उसके वारिसान मेन्दुजी, मगनलाल व राधेश्याम के नाम दर्ज हुई है, जो प्रदर्श 2 से स्पष्ट है। अनुबन्ध की विनिर्दिष्ट पालना का वाद धर्मचन्द द्वारा कालूलाल के वारिसान के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर द्वारा दिनांक 29–08–1997 को वादी धर्मचन्द के पक्ष में डिक्री हुआ है, जो प्रदर्श ए 1 से स्पष्ट है। प्रदर्श ए 3 ए अनुसार कालूलाल के वारिसान द्वारा दिनांक 10–05–2001 को उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय धर्मचन्द पिता अम्बालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में किया जाना स्पष्ट है तथा धर्मचन्द द्वारा दिनांक 21–06–2012 को प्रतिवादी संख्या 1 वन्दना के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय किया गया है, जो प्रदर्श ए 4 ए से स्पष्ट है। वर्तमान में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकी संख्या 1 जो वादीगण को साबित करानी थी वादीगण के विरूद्ध तथा तनकी नंबर 2 से 4 जो प्रतिवादीगण के जिम्मे थी, प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित करते हुए अपने निर्णय के सार में यह माना है कि ''प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का क्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 21–06–2012 को किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा धर्मचन्द से भूमि क्रय की गयी है उक्त भूमि के पंजीकृत बिकावनामा के विरूद्ध वादीगण ने किसी सिविल न्यायालय में न तो वाद दायर किया है न किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त की है। धर्मचन्द द्वारा उक्त भूमि को माननीय सिविल न्यायालय से जरिये डिक्री प्रकरण संख्या 14/1993 दिनांक 29–08–1997 को अपन पक्ष में हुई डिक्री के बाद माननीय न्यायलय द्वारा ईजराय की पालना में धर्मचन्द के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है।'' अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवेचन हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत विधि सम्मत है। प्रकरण में वस्तुतः हम यह पाते हैं कि अपीलान्ट/वादीगण के वाद का मुख्य आधार प्रतिकूल कब्जा है, जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वर्तमान काश्तकारी कानून में किसी प्रकार की खातेदारी देय नहीं है। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 29–04–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर.............
व इजलास ....कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰ ....

प्रभूलाल पिता राधेश्याम माली, निवासी टेकरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

श्रीमती वन्दना पत्नी रमेश जी गन्ना निवासी झीणीरेत का चौक, उदयपुर व अन्य

अपील नं॰....36 / 2024........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...........
.......गिर्वा......... मुकाम................मुवर्खे..............29...........माह........04.................2024

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.......12.....माह.......12.......सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.........श्री संजय बोहरा.........मिनजानिब अपीलान्ट व..............श्री हर्षद जोशी

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 29–04–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......12........माह........12........2024 को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested